भाकृअनुप–भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान
रायबरेली रोड, पोस्ट–दिलकुशा, लखनऊ–226002

ICAR-Indian Institute of Sugarcane Research
Raebareli Road, Post-Dilkusha, Lucknow–226002 (U.P.)

फा.सं0 : 25–200 / पें0यू0(आई.आई.एस.आर.) / 2018–पेंशन दिनांक 26 सितम्बर 2018

:: परिपत्र ::

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के पत्रांक सं0 FIN/10/09/2018-पेंशन दिनांक 4 सितम्बर 2018 द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार इस संस्थान के पेंशन अधिकृत इकाई (Pension Authorization Unit) के माध्यम से पेंशन / पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन / पारिवारिक पेंशन सम्बन्धी शिकायतों (Grievances) के शीघ्र निस्तारण हेतु पेंशन अदालत की तर्ज पर प्रतिमाह एक बैठक का आयोजन किया जाना है। इसी परिपेक्ष्य में सभी सम्बन्धित पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों को सूचित किया जाता है कि उनके पेंशन / पारिवारिक पेंशन सम्बन्धी शिकायतों (Grievances) के शीघ्र निपटारे हेतु दिनांक 15 अक्टूबर 2018 (सोमवार) को पूर्वाह्न 11:00 बजे पेंशनरों के साथ बैठक का आयोजन प्रस्तावित है। अतः सभी पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों से निवेदन है कि वे अपनी पेंशन / पारिवारिक पेंशन संबंधी मामलों में किसी भी प्रकार की शिकायत के निपटारे हेतु इस परिपत्र के साथ संलग्न प्रपत्र को पूर्ण रूप से भरकर व्यक्तिगत रूप से / डाक द्वारा / मैसेंजर द्वारा या ई–मेल (fao.iisr@icar.gov.in) पर दिनांक 15 अक्टूबर 2018 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से पूर्व इस संस्थान के पेंशन प्रकोष्ठ (Pension Cell) में भिजवाने की कृपा करें जिससे सम्बन्धित शिकायतों का निस्तारण इस बैठक में किया जा सके। इसी क्रम में पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन / पारिवारिक पेंशन सम्बन्धी शिकायतों हेतु प्रत्येक माह के तृतीय सोमवार (अवकाश की स्थिति में अगला कार्य दिवस) को नियमित रूप बैठक का आयोजन किया जायेगा जिसके लिए आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में भरकर निर्धारित बैठक के पूर्व कभी भी भिजवाये जा सकते हैं।

उपरोक्त बैठक में भाग लेने हेतु पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों / उनके प्रतिनिधियों को किसी भी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

संलग्नः पेंशन सम्बन्धी शिकायत हेतु प्रारूप।

वित्त एवं लेखाधिकारी
(Finance & Accounts Officer)

वितरण (Distribution) :

1. निदेशक, भाकृअनुप–भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ–226002।
2. निदेशक, भाकृअनुप–केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, रहमानखेड़ा, पोस्ट–काकोरी, लखनऊ–226101।
3. निदेशक, भाकृअनु–राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो, केनाल रिंग रोड, तेलीबाग, लखनऊ–226002।
4. निदेशक, भाकृअनुप–भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, पोस्ट–जक्खिनी, शहॅंशाहपुर, वाराणसी–221305।
5. निदेशक, भाकृअनुप–भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, कल्याणपुर, कानपुर–208024।
6. निदेशक, भाकृअनुप–राष्ट्रीय कृषि उपयोगी सूक्ष्मजीव ब्यूरो, कुशमौर, मऊ नाथ भंजन–275101।
7. निदेशक, भाकृअनुप–भारतीय बीज विज्ञान अनुसंधान संस्थान, कुशमौर, मऊ नाथ भंजन–275101।
8. निदेशक, भाकृअनुप–कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान, जोन–IV, रावतपुर, कानपुर–208002।
9. सहायक महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, सी0पी0पी0सी0, 4वीं मंजिल, पी0सी0एफ0 बिल्डिंग, 32, स्टेशन रोड, लखनऊ–226001।
10. शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, आई.आई.एस.आर. शाखा, पोस्ट–दिलकुशा, लखनऊ–226002।
11. निदेशक (वित्त), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि भवन, नई दिल्ली–110001।
12. प्रभारी, ए0के0एम0यू0, भाकृअनुप–भा0ग0अ0स0, लखनऊ– कृपया इस परिपत्र को संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करवाने की कृपा करें।

पेंशन/पारिवारिक पेंशन संबंधित शिकायतों के निवारण हेतु प्रपत्र

(भाकृअनुप–भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ की पेंशन अधिकृत इकाई **(Pension Authorization Unit)** के माध्यम से पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों द्वारा भरा जायेगा)

1.	पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का नाम	
2.	पेंशन भुगतान आदेश (पी0पी0ओ0) संख्या	
3.	वर्तमान/पत्राचार का पता	
4.	मोबाईल नं0	
5.	ई–मेल का पता	
6.	सेवानिवृत्त/मृत्यु की तिथि	
7.	संस्थान का नाम जहॉं कर्मचारी सेवानिवृत्त/मृत्यु के समय कार्यरत था।	
8.	भारतीय स्टेट बैंक की शाखा/संस्थान का नाम व पूर्ण पता (पिन कोड के साथ) जहॉं से पेंशन आहरित की जा रही है।	
9.	बैंक शाखा का कोड व आई0एफ0एस0सी0 कोड	
10.	बैंक खाता संख्या	
11.	पेंशन/पारिवारिक पेंशन संबंधी शिकायत का पूर्ण विवरण।	
12.	क्या आप व्यक्तिगत रूप या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से पेंशन/पारिवारिक पेंशन संबंधी शिकायत के निपटारे हेतु बैठक में भाग लेंगे (हॉं/नहीं)। यदि प्रतिनिधि द्वारा भाग लिया जायेगा तो उसका नाम, पता, संपर्क/मोबाईल नं0 व ई–मेल पता जिससे बैठक की सूचना प्रेषित की जा सके।	

स्थान :

दिनांक :

पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर के हस्ताक्षर